न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 44 / 2022 निर्णय दिनांक 12.01.2023
ऑनलाईन नंबर 2022 / 67

दिनेश गोरा पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी राजासर उर्फ करनीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर। —प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़। —अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 128 आर.एल.आर. एक्ट।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 293 तादादी 6.7100 हैक्टेयर रोही बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के इस खातेदारी खेत की पैमाईश प्रार्थी के निवेदन पर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश पर भू—अभिलेख निरीक्षक वृत गुंसाईसर बड़ा के नेतृत्व में एक टीम द्वारा दिनांक 22.06.2020 को की गई। पैमाईश टीम ने प्रार्थी के खसरा नम्बर 293 की उतर तरफ की 0.38 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 389 में दबी होनी पाई गई। पूर्वी तरफ की 0.53 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 376 में दब होनी पाई, पश्चिम तरफ की 0.31 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 294 में तथा 2.35 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 295 में दबी हुई पाई गई। पैमाईश टीम में मौके पर पैमाईश की, परन्तु मौके पर निशानदेही नहीं दी, ना ही मौके पर पत्थरगढ़ी ही करवाई। मौके पर पैमाईश टीम द्वारा निशानदेही नहीं देने व पत्थरगढ़ी नहीं करने से प्रार्थी के खेत की सीमा निर्धारित नहीं हो पाई, जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी जमीन की समुचित सीमा का ज्ञान नहीं हो रहा है। प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। पैमाईश टीम द्वारा मौके पर सीमाज्ञान करवाकर मौके पर निशानदेही देकर पत्थरगढ़ी करनी थी, परन्तु पैमाईश टीम ने ऐसा नहीं किया। प्रार्थी ने अप्रार्थी से पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने पत्थरगढ़ी करने से इन्कार कर दिया और न्यायालय श्रीमान्जी के आदेश लाने का कहा। पत्थरगढ़ी के अभाव में प्रार्थी के खेत की वास्तविक सीमा का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। जिससे प्रार्थी अपने पड़ोसियों का यह नहीं बता पा रहा है कि उसके खेत की वास्तविक सीमा कहां तक है। पत्थरगढ़ी के अभाव में सीमा निर्धारण नहीं होने से प्रार्थी अपने खेत की तारबन्दी, बाड़ आदि नहीं कर पा रहा है। तारबन्दी, बाड़ आदि नहीं होने से आवारा पशु प्रार्थी के खेत में घुसकर फसल नुकसान कर रहे है। प्रार्थना—पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। यह है कि प्रार्थना—पत्र हर तरह से अन्दर मियाद है तथा निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी को आदेश दिया जावे कि वो प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 293 रोही बींझासर की पत्थरगढ़ी मौके पर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.09 11:34:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज में उपस्थित होकर जवाब

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट का प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 293 तादादी 6.7100 हैक्टेयर रोही बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी प्रार्थी की पृथक से दर्ज है। खसरा नंबर 293 के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजदू है उनके आधार पर अथवा मौके के अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/—रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिश्नर प्रार्थी द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थी से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 12.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.09 11:34:10 IST
Reason: SelfAttested